बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 23/441 पटना, दिनांक 14/5/2015

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(II वि0अभि0)-102-14/2012

प्रेषक,

(प्रदीप कुमार)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

(एस0एम0 राजू)
सचिव
अनुसचित जाति / अनुसूचित
जनजाति कल्याण विभाग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना को ससमय पूर्ण करवाने में विकास मित्रों की भूमिका निर्धारित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि **I. इंदिरा आवास** :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आरंभ से ही लक्ष्य का 60% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कर्णांकित किये जाते रहे हैं । यह भी अवगत होंगे कि सामान्यतया इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे होते हैं, फलस्वरूप इंदिरा आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया, बैंक से राशि की निकासी, निर्माण सामग्रियों के क्रय आदि कार्यों की जानकारी नहीं रहने अथवा अल्प जानकारी रहने के कारण ये बिचौलियों का सहारा लेते हैं और ठगी एवं भ्रष्टाचार का शिकार भी हो जाते हैं । मार्गदर्शिका के अनुसार लाभार्थियों को आवास का निर्माण स्वयं करना है । अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लाभार्थियों द्वारा ससमय सहायता राशि का उपयोग आवास निर्माण के लिए नहीं किया जाता है बल्कि राशि का उपयोग अपने अन्य निजी कार्य में कर लिया जाता है । इसके अतिरिक्त तकनीकी सहायता के अभाव में पर्यावरण अनुकूल, सस्ता एवं टिकाऊ गृह निर्माण सामग्री का उपयोग भी नहीं किया जाता है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा रोधी आवास नहीं बन पाते हैं और लाभार्थी असुरक्षित मकान में जोखिम लेकर अपना जीवन बसर करते हैं अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण वे पुन: गृह विहीन हो जाते हैं। इंदिरा आवास योजना का लाभ मात्र एक बार देय है एवं इस योजनान्तर्गत गृह बीमा की कोई व्यवस्था भी नहीं है ।

राज्य में लगभग 12.42 लाख इंदिरा आवास अपूर्णता की स्थिति में हैं जिनमें से अधिकांश अपूर्ण आवास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्ग के ही होने की संभावना है । यद्दपि सहायता राशि प्राप्त कर दो माह के अंदर मकान निर्माण पूर्ण करने वाले महादलित परिवारों को 2000 (दो हजार) रूपये प्रोत्साहन राशि मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत देने की व्यवस्था भी की गयी है, किन्तु बावजूद इसके वर्गों द्वारा इसका लाभ लेने की गंभीरता नहीं देखी जा रही है ।

इंदिरा आवास के निर्माण के लिए किस्तों में सहायता राशि दी जाती रही है और आवास निर्माण की निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रगति के आधार पर द्वितीय/अग्रेतर किस्त का भुगतान किया जाता है ।

1996 से दिनांक 01.04.2004 के पूर्व के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैसे इंदिरा आवास के लाभार्थी जिन्होंने सहायता राशि प्राप्त कर ली और अपने आवास का निर्माण लिंटल स्तर तक ही करा पाएँ तथा छत निर्माण नहीं होने के कारण आवास अपूर्ण रहने के फलस्वरूप इनके समक्ष आवास की समस्या पूर्ववत रहने की स्थिति को देखते हुए मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत लाभुकों को छत निर्माण कराकर आवास पूर्ण कराने के लिए 30,000 (तीस हजार) रूपये की सहायता राशि दो किस्तों में (बीस

हजार + दस हजार) देने की व्यवस्था की गयी है । राज्य में ऐसे लगभग 1,83,000 (एक लाख तेरासी हजार) परिवार चिन्हित किये गये हैं जिनमें से लगभग 83 (तेरासी) हजार परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 250.00 करोड़ रूपये जिलों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 300.00 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराया जाना है ।

सामान्यतया इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए जो कार्मिक बल उपलब्ध हैं उन्हें सभी वर्गों का दायित्व रहने के कारण उनके द्वारा इन विशिष्ट वर्ग को योजना से अवगत कराने एवं मकान निर्माण पूर्ण कराने के लिए अपेक्षाकृत समय देना संभव नहीं हो पा रहा है, फलस्वरूप इस वर्ग के लाभार्थी जानकारी के अभाव में योजना का लाभ पाने से भी वंचित रह जाते हैं ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति परिवारों के कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाओं से इन परिवारों को लाभान्वित कराने के लिए इन वर्गों के बीच के ही सदस्य को विकास मित्र के रूप में रखा गया है ।

अत: उपर्युक्त कठिनाईयों को देखते हुए इंदिरा आवास एवं इससे सम्बद्ध अन्य योजना यथा मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना तथा मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को इंदिरा आवास के चयन, आवास की स्वीकृति, सहायता राशि का भुगतान के साथ-साथ निर्माण सामग्रियों के क्रय सहित सहायता राशि प्राप्त करने के दो माह के अंदर आवास निर्माण पूर्ण कराने के लिए इन वर्गों के लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी देकर इंदिरा आवास को पूर्ण कराने में विकास मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त करे । विकास मित्र अपने कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । जिला पदाधिकारी विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में विकास मित्रों की कार्य की समीक्षा इस प्रतिवेदन के आधार पर करेंगे ।

II सामाजिक वानिकी :- आप अवगत है कि सामाजिक वानिकी मनरेगा योजना के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण अवयव है । ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी IPPE वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए श्रम बजट बनाते समय योजनाओं के चयन में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के न्यूनतम 60% योजनाओं के चयन का निदेश दिया था । सामाजिक वानिकी के तहत लक्षित संख्या में वृक्षारोपण से न सिर्फ पर्यावरण में सुधार तथा जल संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण मानकों की प्रतिपूर्ति होती है बल्कि वानिकी श्रम साध्य होने के कारण काफी मात्रा में सामग्री साध्य कार्यों के लिए भी निधि की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है ।

सामाजिक वानिकी के तहत एक यूनिट में 200 वृक्षरोपण किए जाने है तथा इसकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए प्रति यूनिट दो वनपोषकों को पांच साल तक इसकी देख-रेख का जिम्मा दिया जाना है । इसके लिए प्रत्येक वन पोषक को 90% से ज्यादा पौधों के जीवित रहने पर 1400/- रूपये प्रतिमाह दिया जाना है । पांच साल के बाद उन्हीं परिवार को 50-50 पौधे वृक्ष संरक्षण योजना के तहत वृक्ष पट्ट के रूप में दिया जाएगा जिसका लाभ उन्हें मिलेगा । ये वन पोषक प्राथमिकता के आधार पर निम्नवत् है -

(i) सभी नि:शक्त व्यक्ति,

(ii) सभी समुदाय की विधवा,

(iii) अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाएं ।

उपरोक्त प्राथमिकता के पालन से वंचित श्रेणी के परिवार के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी ।

विकास मित्रों से यह अपेक्षा होगी की वे अपने कार्यक्षेत्र में वन पोषकों को चिन्हित करने तथा उन्हें उनके कर्तव्यों एवं हकदारी के बारे में उन्हें संवेदनशील करेंगे ।

III. स्वयं सहायता समूह :- जीविका के अन्तर्गत सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है । पूरे राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10,000,000 (दस लाख) समूहों के गठन का लक्ष्य है जिसमें से लगभग 3,60,000 (तीन लाख साठ हजार) समूह बनाए जा चूके है ।

इन समूहों की viability इस बात पर आश्रित है कि समूह के सदस्य समरूप है और इस परिप्रेक्ष्य में वंचित वर्ग की महिलाओं के समूह का भी गठन किया गया है । इन समूहों का बैंक खाता खुल जाने

के पश्चात् इन्हें तीन प्रकार की निधि प्राप्त होती है (i) Initial Capitalization Fund (ii) Food Security Fund (iii) Health Risk Fund. सामान्तया वंचित समूह की महिलाएं Initial Capitalization Fund से ऋण की राशि लेकर उससे आय प्राप्ति का छोटा काम प्रारंभ नहीं कर पाती है अथवा पूर्व से उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को सुदृढ़ नहीं कर पाती है । इसी तरह थोड़ा वृहत् स्तर पर कार्य करने हेतु Micro Plan बनाकर Lively hood Fund से भी ऋण प्राप्त नहीं कर पाती है ।

उपर्युक्त परिस्थिति में विकास मित्रों से यह अपेक्षा है कि वे वंचित वर्ग की SHG की महिलाओं को उनके समक्ष उपलब्ध विकल्पों तथा उनकी परिस्थिति के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हुए उनका वित्त पोषण करवाना सुनिश्चित करेंगे । विकास मित्र यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं सहायता समूह के जिन सदस्यों का वित्त पोषण किया जाता है वे ससमय ऋण की अदायगी भी करें ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना को ससमय पूर्ण करवाने में विकास मित्रों की अहम् भूमिका निर्धारित की गई है । सरकार की विकास मित्रों से यह अपेक्षा है कि वे वंचित समूह के लिए चलाई जा रही ग्रामीण विकास की योजनाओं का ससमय सफलतापूर्वक संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । इस प्रयोजनार्थ सचिव, अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा संबंधित पदाधिकारियों के साथ की जायेगी ।

विश्वासभाजन

21.4.15

(प्रदीप कुमार)
सचिव

(एस0एम राज)
सचिव
24/4/15

ज्ञापांक 231441 पटना, दिनांक 14/5/2015

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(II वि0अभि0)-102-14/2012

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

21.4.15

(प्रदीप कुमार)
सचिव

(एस0 एम0 राज)
सचिव
24/4/15